

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

119

क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/निजी चिकि./2010/539

दिनांक :- 4.5.2010

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा में विस्तार करते हुए निम्नलिखित चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा इन्डोर पेंशेन्ट के कुल बिल पर तथा समस्त प्रकार की जाँचों पर 15 प्रतिशत की छूट देय होगी :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1	ग्लोबल हार्ट एण्ड जनरल हॉस्पिटल, सी-1, 27 एवं 29, भरत अपार्टमेन्ट के सामने, चित्रकूट, अजमेर रोड़, जयपुर।	0141-2440629, 5110629
2	मनु हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, ए-1, श्याम नगर, सोड़ाला, जयपुर।	0141-2292530, 2295567
3	डा० गोयल्स पेथलेब एण्ड इमेजिंग सेन्टर, डी-135, श्याम नगर एक्सटेंशन, जनपथ, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर।	0141-2293346, 2291055
4	डा० तिवाड़ी डेन्टल क्लिनिक, त्रिवेणी चौराहा, रोनक रेस्टोरेन्ट के सामने, गोपालपुरा बाई पास, जयपुर।	98291-18022
5	दक्ष डेन्टल केयर सेन्टर, शॉप नं० 71-72, सूरज मैदान के पास, शांति पथ, न्यू राजा पार्क, जयपुर।	0141-6541536, 9414042443
6	जे.पी.आई. हॉस्पिटल, बी-14, लालकोठी शॉपिंग सेन्टर, टाईम्स ऑफ इण्डिया के पीछे, टोंक रोड़, जयपुर।	0141-2742525,
7	स्टार वूमन एण्ड जनरल हॉस्पिटल, एस-3, सेक्टर-5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर।	0141-2797018

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मण्डल के निर्णय की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

SA
सचिव

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक-सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अ., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,।
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-....., राजस्थान आवासन मण्डल,।
6. संबंधित हॉस्पिटल।
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

SA
सचिव